

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-28.09.2015

विज्ञापन संख्या-02/2015

झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-960(3) दिनांक 28.07.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. (क) (i) पद का नाम- नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist)
(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation		B. Horizontal Reservation against total vacancy			
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	17	0	0	0	0	0
ii	SC	03	0	0	0	0	0
iii	ST	09	0	0	0	0	0
iv	BC-I	03	0	0	0	0	0
v	BC-II	02	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		34	0	0	0	0	0

- (ख) (i) पद का नाम- पैथोलॉजिस्ट (Pathologist)
(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation		B. Horizontal Reservation against total vacancy			
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	02	0	0	0	0	0
ii	SC	0	0	0	0	0	0
iii	ST	01	0	0	0	0	0
iv	BC-I	01	0	0	0	0	0
v	BC-II	0	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		04	0	0	0	0	0

(ग) (i) पद का नाम— मनोचिकित्सक (Psychiatrist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	11	0	0	0	0	0
ii	SC	02	0	0	0	0	0
iii	ST	06	0	0	0	0	0
iv	BC-I	02	0	0	0	0	0
v	BC-II	01	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		22	0	0	0	0	0

(घ) (i) पद का नाम— फिजिशियन (Physician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	110	05	02	01	01	01
ii	SC	22	01	0	0	0	0
iii	ST	57	03	01	01	0	0
iv	BC-I	18	01	0	0	0	0
v	BC-II	13	01	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		220	11	03	02	01	01

(ङ) (i) पद का नाम— कान, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ (E.N.T Specialist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	02	0	0	0	0	0
ii	SC	0	0	0	0	0	0
iii	ST	01	0	0	0	0	0
iv	BC-I	01	0	0	0	0	0
v	BC-II	0	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		04	0	0	0	0	0

(च) (i) पद का नाम— रेडियोलॉजिस्ट (Radiologist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	08	0	0	0	0	0
ii	SC	02	0	0	0	0	0
iii	ST	04	0	0	0	0	0
iv	BC-I	01	0	0	0	0	0
v	BC-II	01	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		16	0	0	0	0	0

(छ) (i) पद का नाम— सर्जन (Surgeon)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	17	0	0	0	0	0
ii	SC	03	0	0	0	0	0
iii	ST	09	0	0	0	0	0
iv	BC-I	03	0	0	0	0	0
v	BC-II	02	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		34	0	0	0	0	0

(ज) (i) पद का नाम— अस्थि रोग विशेषज्ञ (Orthopaedician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	15	0	0	0	0	0
ii	SC	03	0	0	0	0	0
iii	ST	08	0	0	0	0	0
iv	BC-I	02	0	0	0	0	0
v	BC-II	02	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		30	0	0	0	0	0

(झ) (i) पद का नाम— निश्चेतक (Anaesthetist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	18	0	0	0	0	0
ii	SC	04	0	0	0	0	0
iii	ST	09	0	0	0	0	0
iv	BC-I	03	0	0	0	0	0
v	BC-II	02	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		36	0	0	0	0	0

(ञ) (i) पद का नाम— शिशु रोग विशेषज्ञ (Paediatrician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	111	06	02	01	01	01
ii	SC	22	01	0	0	0	0
iii	ST	58	02	01	01	0	0
iv	BC-I	18	0	0	0	0	0
v	BC-II	13	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		222	09	03	02	01	01

(ट) (i) पद का नाम— स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynaecologist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		NO. of vacancies	Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	16	0	0	0	0	0
ii	SC	03	0	0	0	0	0
iii	ST	08	0	0	0	0	0
iv	BC-I	03	0	0	0	0	0
v	BC-II	02	0	0	0	0	0
Total of (i) to (v)		32	0	0	0	0	0

(नोट :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।)

2. वेतनमान – PB-II (Rs.9300-34800] Grade Pay – 5400+4 extra increments for P.G. Degree Holders and 3 extra increment for P.G. Diploma Holders.)

3. पद – स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

शैक्षणिक योग्यता :- आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम0सी0एच0, डी0एम0 की डिग्री कर चुके हो तथा चिकित्सक के रूप में निबंधित होना आवश्यक है।

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2015

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 25 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 01.08.1990 के बाद का न हो।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-2096, दिनांक-25.04.2011 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	जन्म तिथि को अथवा के बीच	शारीरिक रूप से अक्षम
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	01.08.1980 से 01.08.1990	40 वर्ष (01.08.1975 से 01.08.1990)
2.	पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II	37 वर्ष	01.08.1978 से 01.08.1990	42 वर्ष (01.08.1973 से 01.08.1990)
3.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II)	38 वर्ष	01.08.1977 से 01.08.1990	43 वर्ष (01.08.1972 से 01.08.1990)
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	01.08.1975 से 01.08.1990	45 वर्ष (01.08.1970 से 01.08.1990)

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-** विशेषज्ञ चिकित्सकों का साक्षात्कार हेतु चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता अंकों के आधार पर तैयार औपबंधिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा जिसके लिए कुल 100 अंक होंगे। इस 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :-

(क) स्नातकोत्तर में प्राप्तांक – कुल 60 अंक

(ख) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री यथा डी0एम0/एम0सी0एच0 अथवा समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त हो) यह अंक समान रूप से स्नाकोत्तर से उच्चतर डिग्री धारक को दिया जायेगा। – कुल 10 अंक

(ग) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा – कुल 30 अंक

8. न्यूनतम अर्हतांक :-

साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा परीक्षा में सफलता के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

9. आरक्षण :-

- (क) **ऑनलाईन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।
- (ख) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार Online आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।
- (ग) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग -I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग-II (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक- 5682, दिनांक- 22.10.2008 एवं ज्ञापांक- 10007, दिनांक- 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II का विवरण **ऑनलाईन** आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के बेवसाईट -**www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जायेगा।
- (ङ) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

(च) **विकलांग कोटे** के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प -7281 दिनांक-07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(विहित प्रारूप आयोग के वेबसाइट-www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है)

10. साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-12165 दिनांक-31.10.2011 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012 /22/93-ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक-08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक-01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता में रियायत प्रदान की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर चयन होता है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

12. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
 - (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
 - (g) Using unfair means during the test, or
 - (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
 - (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
 - (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
 - (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. परीक्षा शुल्क :-

- (i) सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग -I/पिछड़ा वर्ग-II के लिए चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.00/-रु० परीक्षा शुल्क + 50.00/-रु० बैंक चार्ज कुल -450.00/-रु० एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100.00/- रु० परीक्षा शुल्क + 50.00/- रु० बैंक चार्ज, कुल -150.00/-रु० देय होगा।
- (ii) विकलांगों अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

- (iii) Online Payment Gateway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
- (iv) Offline Payment के लिए चालान से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।
- (v) Offline Payment के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है।
- | | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| बैंक | — | एस0बी0आई0, लालपुर शाखा, राँची |
| खाता संख्या | — | 35188236679 |
| शाखा कोड | — | 12623 |
| IFSC CODE | — | SBIN0012623 |
- (vi) **Online Application** पत्र किसी भी कारण से अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, “How to apply” अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :-
- (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम0सी0एच0, डी0एम0 की डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र
- (ii) चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र (iii) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (iv) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (v) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (vi) खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (vii) अनुभव प्रमाण पत्र आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- (ड.) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
1. 07042294208 2. 07042294209 3. 07042294210
- (घ.) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा
- (छ.) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ज.) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।
- (झ.) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (ञ.) जन्म तिथि-आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

15. अंतिम तिथि :-

आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-07.09.2015 से दिनांक-28.09.2015 रात 12:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।